



1. आकांक्षा राय
2. डा० आशुतोष कुमार
त्रिपाठी

स्वयं सहायता समूहों का ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति में योगदान

1. शोध अध्यायी- असिस्टेंट प्रोफेसर- समाजशास्त्र विभाग, डी०सी०एस०के० पी०जी० कालेज, 2. असिस्टेंट प्रोफेसर- समाजशास्त्र विभाग, संत गणिनाथ राजकीय पी.जी. कालेज, मुहम्मदाबाद गोहना, मऊ (उ०प्र०) भारत

Received-16.03.2024,

Revised-22.03.2024,

Accepted-27.03.2024

E-mail:aaryavart2013@gmail.com

सारांश: भारतीय समाज मुख्यतः एक पितृसत्तात्मक परिवार है। यहाँ पुरुषों को परिवार में अत्यधिक महत्व दिया जाता है। किसी भी परिवार को स्थायित्व करने में स्त्री व पुरुष दोनों की समान भूमिका होती है, किन्तु पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की प्रायः उपेक्षा की जाती है।

ग्रामीण समाज में महिलायें और भी उपेक्षित तथा भेदभाव की शिकार होती हैं। ये ग्रामीण महिलायें घर गृहस्थी के साथ कृषि क्षेत्र में भी योगदान देती हैं, किन्तु इनके श्रम का कोई मूल्य नहीं होता है। जिससे ये आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर होती हैं और इनकी सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति भी निम्न होती है।

विगत कुछ वर्षों में ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा प्रस्थिति में सुधार हेतु कई प्रयास किये गये। इस कार्य में स्वयं सहायता समूहों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये समूह ग्रामीण महिलाओं की छोटी-छोटी बचत को प्रोत्साहित करके उन्हें औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ता है और उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को बाधा कर उनकी सामाजिक प्रस्थिति को सुधारने का प्रयास करता है।

कुंजीशब्द- ग्रामीण महिला, पितृसत्तात्मक, स्वयं सहायता समूह, आत्मनिर्भर, पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था, ग्रामीण समाज।

भारत की अधिकतर जनसंख्या गाँव में निवास करती है। ग्रामीण समाज के विकास के बिना संपूर्ण देश का विकास संभव नहीं है। ग्रामीण समाज का विकास तथा उत्थान तभी संभव है जब कि ग्रामीण महिलाओं को जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग है, विकास की मुख्यधारा में सम्मिलित किया जाए।

भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज है पुरुष प्रधान समाज तथा पुरुषों को अधिक महत्व दिये जाने के कारण महिलाओं और विशेषकर ग्रामीण महिला की स्थिति निम्न होती है। ग्रामीण महिलाओं के संदर्भ में यह लैंगिक विभेद और अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ग्रामीण महिलायें घरेलू कार्यों के साथ-साथ कृषि कार्य, पशुपालन व अन्य उत्पादन कार्यों में भी अपना योगदान देती हैं, लेकिन इनके श्रम का कोई मूल्य नहीं होता है।

रेनन डबवाला (1955) ने अपने महिलाओं से सम्बन्धित अध्ययनों में पाया कि महिलाएं अक्सर अदृश्य होती हैं उन्हें एक श्रमिक के रूप में मान्यता नहीं होती, क्योंकि उनके अधिकतर कार्य अनीपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा होते हैं, जिनकी गणना नहीं की जाती है।

ग्रामीण महिलाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग है। घरेलू कार्यों से लेकर कृषि कार्यों तक में ये प्रमुख भूमिका निभाती हैं किन्तु इनका श्रम का कोई मूल्य नहीं दिया जाता यह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती हैं, यही इनकी निम्न स्थिति का कारण है। ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं को दूर करने हेतु आवश्यक है कि इन महिलाओं की आर्थिक निर्भरता को बढ़ाया जाए, क्योंकि संपूर्ण विकास के लक्ष्यों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि महिलाओं की सहभागिता को स्वीकार किया जाए। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महिलाओं से संबंधित अनेकों योजनाएं व कार्यक्रमों को शुरू किया गया। इन्हीं में से स्वयं सहायता समूह भी एक प्रमुख भूमिका में है।

स्वयं सहायता समूह में प्रायः 10-20 महिलाओं का एक समूह जो कि एक जैसे सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की होती है और अपनी छोटी-छोटी बचत के माध्यम से एक कोष बनाती है जिसमें जमा धनराशि का प्रयोग इस समूह के सदस्यों के द्वारा ही आवश्यकता होने पर दिया जाता है। स्वयं सहायता समूह के निर्माण का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इन समूहों के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान, लघु उद्योग के लिए ऋण, तथा बचत को प्रोत्साहन मिलता है। अरुण कुमार सिंह ने स्वयं सहायता समूह को स्वेच्छा से निर्मित एक ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया है जिसमें लोग एकत्रित होकर सामूहिक रुचि के आधार पर कुछ विशेष गतिविधियों को करते हैं। साहू एवं त्रिपाठी (2005) ने अपनी पुस्तक में लिखा है। स्व सहायता की सहभागिता विकास की प्रक्रिया और महिला सशक्तिकरण के अति शक्तिशाली हथियार के रूप में प्रकट हुई। ग्रामीण महिलायें सामाजिक-आर्थिक बाधाओं के कारण समाज के हाशिये के समूह हैं वे अपने को गरीबी की दलदल से स्वयं सहायता समूहों में संगठित होकर और लघु अर्थव्यवस्था के द्वारा निकाल सकती है।

स्वयं सहायता समूह का उद्भव- वैश्विक रूप से स्वयं सहायता समूह की अवधारण का जन्म 1970 के दशक में बांग्लादेश में माना जाता है जिसके अंतर्गत गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों के जीवन में आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए मोहम्मद युनुस के द्वारा बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के रूप में स्वयं सहायता समूह को जीवंत रूप प्रदान किया गया। बांग्लादेश में गरीबी उन्मूलन हेतु प्रो. युनुस ने प्रयोग के रूप में 42 परिवारों को 27 डालर का ऋण प्रदान किया जो कि सफल रहा। भारत में सर्वप्रथम गुजरात राज्य में इला भट्ट के नेतृत्व में 1974 में महिलाओं द्वारा संगठित स्वयं सहायता समूह को वित्त प्रदान करके उन्हें उत्पादन गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया गया। स्वयं सहायता समूह को वित्त प्रदान करके उन्हें उत्पादन गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया गया। स्वयं सहायता समूह के प्रोत्साहन के लिए सर्वप्रथम प्रयास नाबार्ड के द्वारा 1987-88 में किया गया, जब इसने मैसूर पुनर्वास व विकास एजेंसी के स्वयं सहायता समूह की बचत एवं ऋण प्रबंध पर एक अनुदानित एवं क्रियात्मक अनुसन्धान परियोजना का समर्थन किया था।

1991-1992 में नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूह के प्रोत्साहन का प्रयास किया और इसे बैंकों से जोड़ा गया। सन् 2002 में एक



लाख स्वयं सहायता समूह को जोड़ने हेतु नाबार्ड ने 40 करोड़ रूपए का योगदान के द्वारा सूक्ष्म वित्त के फंड को विकसित किया। यह राशि ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त निर्धनता को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई। नाबार्ड इन समूह के द्वारा ग्रामीण महिलाओं के निर्धनता को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से क्रियाशील है।

स्वयं सहायता समूह का गठन एवं कार्य पद्धति- स्वयं सहायता समूह में एक संयोजक या अन्य पदाधिकारी, अध्यक्ष और सचिव होते हैं जिनका चुनाव समूह के सदस्यों द्वारा होता है, सभी सदस्यों की नियमित रूप से समूह द्वारा बताये गए समय पर साप्ताहिक या मासिक एक मीटिंग (बैठक) होती है। इन बैठकों में महिलाएं अपनी समस्याओं पर परिचर्चा कराती हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कराती हैं, भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान लगाती हैं।

स्वयं सहायता समूह के निर्माण में सर्वप्रथम कुछ व्यक्तियों के द्वारा समूह का निर्माण किया जाता है। सामान्यतः ये निर्माणकर्ता सरकारी संगठन के व्यक्ति नहीं होते हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ता, स्थानीय लोगों के द्वारा गठित, अनौपचारिक संगठनों के द्वारा स्वयं सहायता समूह के गठन हेतु प्रोत्साहन दिया जाता है और समूह निर्माण किया जाता है।

स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इसकी सदस्यता लेकर महिलाएं अपना आर्थिक सामाजिक व मानसिक विकास करती हैं, इसमें अपनी छोटी-छोटी बचत को एकत्र करके यह आवश्यकता के समय तत्कालीन सहायता प्राप्त कर सकती हैं। अति आवश्यकता के समय समूह की महिलाओं पर आर्थिक संकट के समय समूह के पास उपलब्ध धनराशि से न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण भी प्राप्त करती हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं स्वावलंबी बन कर अपना जीवन यापन कर रही हैं।

स्वयं सहायता समूह के उद्देश्य-

- ये समूह बचत की प्रवृत्ति को विकसित करते हैं।
- ग्रामीण महिलाओं की औपचारिक बैंकिंग से संबद्ध करते हैं।
- महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हैं एवं आत्मसम्मान को विकसित करते हैं।
- महिलाओं में सामूहिक नेतृत्व के गुणों को विकसित करते हैं और आपसी बातचीत के द्वारा समस्याओं को हल करना।
- महिलाओं से संबंधित समस्याओं के विषय में संगठित प्रतिक्रिया प्रदान करना।
- रोजगार तथा आय सृजन की गतिविधियों में कार्यात्मक क्षमता का निर्माण करना।

स्वयं सहायता समूह में ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई है, ग्रामीण महिलायें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपनी छोटी-छोटी बचत को प्रोत्साहित करके बैंक पद्धति का लाभ उठा सकती हैं। अनेकों अध्ययन में पाया गया है कि ग्रामीण महिलाएं अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिये साहूकारों से उच्च ब्याज दर पर ऋण लेती हैं, जिससे उनका आर्थिक स्तर और भी निम्न होता जाता है। जब कि स्वयं सहायता समूह आसानी से कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराता है, जिससे ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक स्तर तथा सम्मान दोनों में वृद्धि होती है।

स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति व ऋण देने की प्रक्रिया को आसान करते हैं। ये समूह महिला उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं जिससे नगरीय पलायन कम होता है।

निष्कर्ष- स्वयं सहायता समूह के द्वारा ग्रामीण महिलाओं के आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है। इन समूहों ने महिला उद्यमिता को भी प्रोत्साहित किया है। ग्रामीण महिलायें व्यवसाय जगत तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं। उनकी कार्य कुशलता में भी वृद्धि हुई है तथा नई सोच को बढ़ावा मिला है।

स्वयं सहायता समूह समकालीन ग्रामीण भारत में सूक्ष्म वित्त के द्वारा गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिलायें अपने योगदान के द्वारा आर्थिक अवसरों को प्रोत्साहित कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह सम्पूर्ण रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने में व्यवहारिक भूमिका निभा रहे हैं।

इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करके उनके सामाजिक योगदान, अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक किया है। उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर को उच्च बनाने का प्रयास किया है, जिससे महिलाओं की सामाजिक आर्थिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Jhabvala, Renana (1995). Invisible Workers Reach International Heights, Economics and Political Weekly, New Delhi, Samiksha Trust.
2. Singh, Arun Kumar (2000), Empowerment of Women in India, New Delhi, Manak Publication.
3. Murti, Krishna, Suresh (2007) Role of Self Help Group in Women Empowerment, New Delhi, New Century Publication, 48-54.
4. सिंह, वी.एन., जन्मेजय सिंह (2018), नारीवाद, जयपुर, रावत पब्लिकेशन।
5. सिंह, अमिता, लिंग एवं समाज (2015), दिल्ली, विवेक प्रकाशन।
6. Yallapa, Arjun (2012), Self Help Group and Women Empowerment, New Delhi, New Century Publication.
7. Sahu and Tripathi (2005): "Self Help- Group and Women Empowerment" Anmol Publication Pvt. Lt. New Delhi.